

21025

राष्ट्रदूत जयपुर, 11 अप्रैल, 2017 9

श्रीनिवासन प्रतिबंधित
नयी दिल्ली, 10 अप्रैल। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की विशेष आम बैठक (एसजीएम) अब 18 अप्रैल को होगी। इस बैठक को रविवार को होना था लेकिन पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन और निरंजन शाह सहित कुछ अन्य अयोग्य पदाधिकारियों के पहुंचने के कारण इसे रद्द करना पड़ा था। बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना के निर्देश पर एसजीएम को अब 18 अप्रैल को दिल्ली में कराने का फैसला लिया गया है। यह बैठक कल आयोजित होनी थी लेकिन अयोग्य अधिकारियों के पहुंचने के कारण बोर्ड ने इसे 12 अप्रैल तक के लिये स्थगित कर दिया था जो अब 18 अप्रैल को होगी।

बीसीसीआई एसजीएम अब 18 अप्रैल को, श्रीनिवासन प्रतिबंधित

नयी दिल्ली, 10 अप्रैल। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की विशेष आम बैठक (एसजीएम) अब 18 अप्रैल को होगी। इस बैठक को रविवार को होना था लेकिन पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन और निरंजन शाह सहित कुछ अन्य अयोग्य पदाधिकारियों के पहुंचने के कारण इसे रद्द करना पड़ा था। बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना के निर्देश पर एसजीएम को अब 18 अप्रैल को दिल्ली में कराने का फैसला लिया गया है। यह बैठक कल आयोजित होनी थी लेकिन अयोग्य अधिकारियों के पहुंचने के कारण बोर्ड ने इसे 12 अप्रैल तक के लिये स्थगित कर दिया था जो अब 18 अप्रैल को होगी।

Rajasthan Financial Corporation
Head Office: Udyog Bhawan Tilak Marg, Jaipur-302005
Phone: 2385522/ 2385523 E-mail: info@rfc.rajasthan.gov.in

INVITATION FOR BID (IFB) & NOTICE INVITING BID (NIB)
RFC invites bids for Facility Management Services (FMS) for its web based Loanee Accounting Software from the eligible bidders as per following:

Ref. No./Date	Particulars	Estimated Cost (5 Year)/EMD	Start of Sale/ Last Date
RFC/GAD/Comp-31/381 Date 07 April, 2017	FMS for the software developed on ASP. Net and Oracle 11g platform	Rs. 18.00 lac/ Rs. 0.36 lac	12.04.2017/ 27.04.2017

The details can be seen on the websites rfc.rajasthan.gov.in, sppp.rajasthan.gov.in and proc.rajasthan.gov.in.

Rej.Samwad/C/17/162

Executive Director

21025 11-4-17

पर आगामी कार्यदिवस को भी जारी रहेगा।
> देशी मंदिरा समूहों (डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों को छोड़कर) हेतु आवेदन शुल्क (अप्रतिदाय योग्य) निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-

क्र.सं.	श्रेणी	आवेदन शुल्क रूपये में
1	वर्ष 2017-18 के लिये 10 लाख रूपये तक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	16000
2	वर्ष 2017-18 के लिये 10 लाख रूपये से अधिक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	21000

> देशी मंदिरा समूहों डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों के लिये हेतु आवेदन शुल्क (अप्रतिदाय योग्य) निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

क्र.सं.	श्रेणी	आवेदन शुल्क रूपये में
1	वर्ष 2017-18 के लिये 10 लाख रूपये तक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	7000
2	वर्ष 2017-18 के लिये 10 लाख रूपये से अधिक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	11000

> जिन आवेदन पत्रों के साथ आवेदन शुल्क, निर्धारित अर्नेस्टमनी एवं पहचान का प्रमाण संलग्न नहीं किया गया है उनको लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

> आगामी आबकारी बन्दोबस्त की अवधि एक वर्ष 2017-18 (दिनांक 1.4.2017 से दिनांक 31.03.2018) के लिये होगी। वर्ष 2017-18 के अनुज्ञाधारियों को स्वीकृत अनुज्ञापत्रों का वर्ष 2018-19 (दिनांक 1.4.2018 से दिनांक 31.3.2019) के लिये निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत नवीनीकरण का विकल्प दिया जायेगा।

> आवेदन आमंत्रण वेब संबंध में अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट <https://www.rajexciseapplication2017-18.org> उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर